रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31032023-244799
CG-DL-E-31032023-244799

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 207] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 29, 2023/चैत्र 8, 1945
No. 207] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 29, 2023/CHAITRA 8, 1945

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2023

फा. सं. पीएनजीआरबी/प्राधि./1-सीजीडी (08)/2020 (पी-894).—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड एतद्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनी को प्राधिकृत करना) विनियम, 2008,में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्: -

1. **लघु शीर्षक और प्रारंभण, -**

(1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनी को प्राधिकृत करना) संशोधन विनियम, 2023 कहा जाएगा।

(2) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड में (नगर अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनी को प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 में, -

(i) विनियम 7 के उप-विनियम 1 में, -

(क) खंड 1(क) में, –

i. तालिका में परंतुक के ऊपर क्रमांक 3 में, "बोली मानदंड" शीर्षक वाले कॉलम में, कोष्ठक में दिए गए “और डॉटर बूस्टर स्टेशन" शब्दों को, ", डॉटर बूस्टर स्टेशन और मोबाइल रिफ्यूलिंग यूनिट" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

ii. तालिका में परंतुक के नीचे, क्रमांक 3 में, "बोली मानदंड" शीर्षक वाले कॉलम में, कोष्ठक में दिए गए "और डॉटर बूस्टर स्टेशन" शब्दों को, ",डॉटर बूस्टर स्टेशन और मोबाइल रिफ्यूलिंग यूनिट" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ख) खंड 1(ख) में, –

i. अंत में, निम्नलिखित सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्:-

स्पष्टीकरण : सीएनजी स्टेशनों के लिए मोबाइल रिफ्यूलिंग यूनिट पर विचार करने के उद्देश्य से, निम्नलिखित को नोट किया जाए : –

I. वर्क प्रोग्राम के उद्देश्य से एमआरयू को एक सीएनजी स्टेशन के रूप में गिना जाएगा।

II. एमआरयू को 8 अनुबंध वर्षों के लिए सीएनजी स्टेशनों के लिए वर्क प्रोग्राम में गिना जाएगा।

iii वर्क प्रोग्राम के उद्देश्य से केवल उन्हीं एमआरयू को सीएनजी स्टेशन के रूप में गिना जाएगा, जो प्राधिकृत भौगोलिक क्षेत्र के भीतर एक निर्दिष्ट स्थान पर तैनात हैं और आम तौर पर सभी दिनों में सीएनजी के निरंतर वितरण के लिए उपलब्ध हैं। "

(ii) अनुसूची घ में, -

i. तालिका में बिंदु संख्या 3 के लिए, क्रमांक 1 में "काम का विवरण" शीर्षक वाले कॉलम में, कोष्ठक के भीतर दिए गए "और डॉटर बूस्टर स्टेशन", शब्दों को, ", डॉटर बूस्टर स्टेशन और मोबाइल रिफ्यूलिंग यूनिट" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

वन्दना शर्मा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./735/2022-23]

पाद टिप्पणी: मूल विनियमों को जीएसआर 196 (अ) दिनांक 19 मार्च, 2008 द्वारा अधिसूचित किया गया था तत्पश्चात् जीएसआर 800 (अ) दिनांक 19 नवंबर, 2008, जीएसआर 295 (अ) दिनांक 30 अप्रैल, 2009, जीएसआर 478(अ) दिनांक 7 जून, 2010, जीएसआर 605(अ) दिनांक 19 जुलाई, 2010, फा.सं. पीएनजीआरबी/सीजीडी/रेग्युलेशन/रिव्यू-2011/2012-III दिनांक 21 जून, 2013, फा.सं. पीएनजीआरबी/सीजीडी/बिड/4/2013-प्रि बिड दिनांक 7 अप्रैल, 2014, फा.सं. एल-एमआईएस सी/छठी/I/2007 दिनांक 1 जनवरी, 2015, फा.सं. पीएनजीआरबी/सीजीडी/रेग्यूलेशन/अमेंडमेंट/2015 दिनांक 13 फरवरी, 2015, पीएनजीआरबी/सीजीडी/ अमेंडमेंट/2015/ 2 दिनांक 11 दिसंबर 2015, फा. सं. पीएनजीआरबी/सीजीडी/ अमेंडमेंट 2015/2/एससी दिनांक 26 अप्रैल 2016, फा.सं. पीएनजीआरबी/एयूटीएच/सीजीडी/एएमडी/2018 दिनांक 6 अप्रैल 2018, फा.सं. पीएनजीआरबी/प्राधि./सीजीडी/अमेंड/2018/2 दिनांक 27 अप्रैल 2018, फा.सं. पीएनजीआरबी/ प्राधि../सीजीडी/ अमेंड /2018/3 दिनांक 6 नवंबर 2018, फा.सं. /4 दिनांक 21 नवंबर 2018, फा.सं. पीएनजीआरबी/प्राधि. /1-सीजीडी(07)/2020 (पी-884) दिनांक 30 सितंबर 2020, पीएनजीआरबी/प्राधि./1-सीजीडी (79)/2019 (पी-770) दिनांक 07 सितंबर 2021 और 14 फरवरी, 2022 के माध्यम से संशोधित किया गया था ।

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2023

F. No. PNGRB/Auth/1-CGD (08)/2020 (P-894).—In exercise of the powers conferred by section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, namely: -

1. Short title and commencement, -

(1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, -

(i) in sub-regulation 1 of regulation 7, -

(a) in clause 1(a), –

i. for the table above the proviso, at Sl. No. 3, under the head "Bidding Criteria", for the words given within brackets "and daughter booster station", shall be substituted with the words ", daughter booster stations and Mobile Refuelling Unit"

ii. for the table below the proviso, in Sl. No. 3, under the head "Bidding Criteria", for the words given within brackets "and daughter booster stations", shall be substituted with the words ", daughter booster stations and Mobile Refuelling Unit"

(b) in clause 1(b), –

i. at the end, following shall be inserted, namely: -

"Clarification: For the purpose of consideration of Mobile Refuelling Unit against CNG Stations, following may be noted: -

i. MRU shall be counted as one CNG station for the purpose of work programme.

ii. MRU shall be counted in work programme against CNG Stations for 8 contract years.

iii. Only those MRUs shall be counted as CNG station for the purpose of work programme, which are stationed at a specified location within the authorized Geographical area and is generally available for continuous dispensation of CNG on all days. "

(ii) in Schedule D, -

i. for point no.3, in the table, under the head "Description of work" in Sr. no. 1, the words given within brackets, "and Daughter Booster stations", shall be substituted with the words ", daughter booster stations and Mobile Refueling Unit"

VANDANA SHARMA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./735/2022-23]

Foot Note : Principal regulations were notified vide no. G.S.R. 196 (E) dated 19th March, 2008 and subsequently amended vide G.S.R. 800 (E) dated 19th November, 2008, G.S.R. 295 (E) dated 30th April, 2009, G.S.R. 478(E) dated 7th June, 2010, G.S.R. 605 (E) dated 19th July, 2010, F. No. PNGRB/ CGD/ REGULATIONS/REVIEW-2011/2012-III dated 21st June, 2013, F. No. PNGRB/CGD/BID/4/2013-PRE BID dated 7th April, 2014, F. No. L-MISC/VI/ I/2007 dated 1st January, 2015, F. No. PNGRB/ CGD/ Regulations/Amend/2015 dated 13th February 2015, PNGRB/CGD/Amendment/2015/2 dated 11th December 2015, F. No. PNGRB/CGD/Amendment/ 2015/2/SC dated 26th April 2016, F. No. PNGRB/AUTH/ CGD/Amd/2018 dated 6th April 2018, F. No. PNGRB/Auth./CGD/Amd/2018/2 dated 27th April 2018, F. No. PNGRB/Auth./CGD/Amd/2018/3 dated 6th November 2018, F. No. PNGRB/Auth./CGD/Amd/2018/4 dated 21st November 2018, F. No. PNGRB/Auth/1-CGD(07)/2020 (P-884) dated 30th September 2020, PNGRB/Auth/1-CGD (79)/2019 (P-770) dated 07th September 2021 and 14th February, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.03.31 16:23:58 +05'30'